न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 24/2017
RCMS Case No. 2017/00358

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1 उम्मेदमल पुत्र वरदाराम जाति माली निवासी भन्दर तहसील बाली जिला पाली		1 विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली 2 सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर तहसील बाली जिला पाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अभय व्यास, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्ट्रेट, पाली, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से
3. श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक 6/8/2019

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निगरानी संख्या 08/2017 विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली बनाम सरपंच ग्राम पचायत भन्दर में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 को पुनर्विलोकित करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जेर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय नियम 140 से 160 की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाने के कारण खारिज किया गया है। सभी कार्यवाही समस्त प्रक्रिया अपना कर की गई है, किन्तु न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज किया गया तथा प्रार्थी के पक्ष में निहित विधिक तथ्यों के होते हुए भी भूलवश एवं अज्ञानतावश तात्वीक तथ्यों की अनदेखी कर दिनांक 29.09.2017 को जेर पुनर्विलोकनाधीन आदेश पारित किया गया है। मात्र अनदेखी शब्द लिख देने से ही सम्पूर्ण प्रक्रिया दूषित नहीं हो जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नियमों की पालना करते हुए आज्ञा एवं उसकी पालना में प्रार्थी के नाम पट्टा जारी किया गया है, जिन समस्त तथ्यों की गलत रूप से व्याख्या करते हुए जेर पुनर्विलोकनाधीन आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य है। स्वयं विकास अधिकारी के आदेश की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण विकास अधिकारी निगरानी प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं था। जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार भूमि का सेटअपार्ट किया गया, जिसनें प्रार्थी एवं उसके परिवार का कब्जा माना जाकर उक्त भूमि को आबादी के लिये आदेशित किया गया तथा भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज होने के पश्चात पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही

अति० जिला कलक्टर, पाली

करते हुए पट्टा जारी किया गया है। उक्त समस्त तथ्यों पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से गौर नहीं किया जाकर जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें एवं न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 को रिव्यू करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। स्वयं विकास अधिकारी द्वारा पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये थे, जिसकी पालना में समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तो अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर पुनर्विलोकनाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आदेश में समस्त तथ्यों को पूर्ण रूप से विवेचित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है, जो पुनर्विलोकन का आधार हो। प्रार्थी पुनर्विलोकन की आड में निर्णय को परिवर्तित कराना चाहते है, जो विधि सम्मत नहीं है। रिव्यू उस स्थिति में ही किया जा सकता है, जब निर्णय में की गई भूल रिकार्ड पर दर्शित होती है। प्रार्थी द्वारा प्रसतुत प्रार्थना पत्र रिव्यू के स्कॉप में नही आता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात क अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों पर मनन किया। जैर पुनर्विलोकनाधीन आदेश का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत भन्दर के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.10.2014, जो मिसल संख्या 09/2003–2004 में जारी पट्टा संख्या 03 को निरस्त कराने का निवेदन किया। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रक्रिया अनुसार सुनवाई की जाकर प्रकरण में दिनांक 29.09.2017 को निर्णय पारित किया जाकर निगरानी खारिज की गई। इस सम्बन्ध में आर0आर0टी0 2007 (2) पेज 1143 नीलकांत व अन्य बनाम उत्तमचन्द व अन्य में यह प्रतिपादित किया कि "नजरसानी की शक्तियों का उपयोग साक्ष्य का पुनः परीक्षण अथवा निर्णय पुनः लिखने हेतु नहीं किया जा सकता है। अभिलेख के आमुख पर प्रत्यक्ष त्रुटीयों को ही सही किया जा सकता है।" प्रकरण हाजा में प्रार्थी का कथन है कि जैर पुनर्विलोकन आदेश में वर्णित आराजी पर प्रार्थी का पुराना कब्जा हैं। जैर पुनर्विलोकन आदेश मात्र इस आधार पर पारित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने पर रोक होने के बावजूद पट्टा जारी किया गया। जबकि प्रार्थी के कब्जे बाबत तथ्यों को नकारा नहीं हैं। इन बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी करने बाबत प्रक्रिया वर्ष 1994 से विचाराधीन रही। यह तथ्य रेकर्ड पर है, जिसे नकारा नहीं जा सकता हैं। हालांकि पट्टे जारी करने पर लगी रोक के बावजूद पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेश पारित किया गया, वह विधि सम्मत नहीं हैं, किन्तु प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु प्रकरण ग्राम पंचायत को

अति० जिला कलेक्टर, बाली

प्रतिप्रेषित किया जाना ही समीचीन था, जो जैर पुनर्विलोकन आदेश में नहीं किया गया हैं। तद्नुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा निगरानी संख्या 08/2017 विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत भन्दर में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2017 किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर निगरानी संख्या 08/2017 के नत्थी हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 6/8/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली